

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 532/2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

1. गुरसेवक सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. गुरसाहब सिंह पुत्र स्व. श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

- वादीगण

बनाम

1. सुखजीत सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सुबा सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सरदूल सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. जसप्रीत सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. हरप्रीत कौर पुत्री श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. सुखपाल कौर पत्नी श्री गुरजन्त सिंह जाति जटसिख नि.भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. हरपाल कौर पत्नी श्री बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. कंचन पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी 4 एन.टी.डब्ल्यु. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. ज्योति पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी 4 एन.टी.डब्ल्यु. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. प्रवीणा पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी 4 एन.टी.डब्ल्यु. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. शर्मिला पुत्री श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी 4 एन.टी.डब्ल्यु. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. रमनदीप पुत्र श्री देशराज जाति बिष्णोई निवासी 4 एन.टी.डब्ल्यु. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- श्री महावीर बैरड़ वकील वादी
श्री कुलदीप मूण्ड- वकील प्रति सं. 1 ता 12
तहसीलदार राजस्व संगरिया- राज-पैरोकार प्रति.संख्या 13

निर्णय

दिनांक :- 13.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादीगण के चाचा एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादीगण के चचेरे भाई-बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादीगण के चाचा है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 1.898 है. कृषि भूमि, इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 0.505 है. कृषि भूमि, इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 117/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 1.139 है. कृषि भूमि, इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 2.213 है. कृषि भूमि, तथा चक 13, बी.जी.पी. के खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 3.400 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। वाद पत्र

कलक्टर एवं

अधिकारी

या

की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्ययों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 5 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। अब प्रतिवादी सं. 5 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादीगण गुरसेवक सिंह एवं गुरसाहब सिंह पुत्रगण स्व. श्री मखन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.व. कृषि भूमि का विवरण :-
चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
182/151	16	25/2/0.025 है.
182/152	23	5/2/0.025 है.
184/158	50	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.
185/164	29	6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है.
185/158	49	1,2/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 9ता13/0.253 है.प्र. मुमकिन 2.227 है., गै.मु. 0.225 है., कुल 2.452 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 सुखजीत सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
183/156	41	14/1/0.063 है., 16/2/0.126 है., 17/0.253 है., 18/0.009 है.(किला की पूर्वी दिशा में) कुल 0.451 है. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/164	39	5/1/0.089 है., 5/3/0.038 है.
177/163	33	21/0.186 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 22/0.253 है.
177/164	40	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/1/0.215 है., 2/2/0.038 है., 9,10,11/0.253 है.प्र., 20/0.062 है.(किला की उतरी दिशा में)

(ग) मुमकिन 1.779 है., गै.मु. 0.114 है., कुल 1.893 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
प्रतिवादी सं. 2 सुबा सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
176/163	34	25/0.253 है.
177/163	33	21/0.067 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) कुल 0.320 है. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
179/161	12	19/2/0.062 है. कुल 0.062 है. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 2.213 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 1.893 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.320 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ़्तकार घोषित कर वादीगण प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 3.400 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.452 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 1 को 0.451 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.497 है. कृषि भूमि का खातेदार काफ़्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण का खाता अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी वादी गुरसाहिब सिंह ने अपना शपथ पत्र अ.आ. 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 13 बीजीपी खाता संख्या 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 प्रस्तुत कि गई जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 13 बीजीपी खाता संख्या 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस में सहमत है और सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने भी वाद पत्र को मुताबिक जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075, चक 13 बीजीपी खाता संख्या 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हो चुके है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

रजिस्टर एवं
जिम्मेदारी
रिजि

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 1.898 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 0.505 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.062 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 4 को 0.443 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 117/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 1.139 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 2.213 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 1.893 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.320 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 13 बी.जी.पी. के खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से 3.400 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.452 है. कृषि भूमि के ब.हि. ब. के, प्रतिवादी सं. 1 को 0.451 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 3 को 0.497 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन करने एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादीगण गुरसेवक सिंह एवं गुरसाहब सिंह पुत्रगण स्व. श्री मखन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

182/151	16	25/2/0.025 है.
---------	----	----------------

182/152	23	5/2/0.025 है.
---------	----	---------------

184/158	50	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.
---------	----	--

185/164	29	6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है.
---------	----	-------------------------------

185/158	49	1,2/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
---------	----	--

9 ता 13/0.253 है.प्र. मुमकिन 2.227 है., गै.मु. 0.225 है., कुल 2.452 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 सुखजीत सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

183/156	41	14/1/0.063 है., 16/2/0.126 है., 17/0.253 है.,
---------	----	---

		18/0.009 है.(किला की पूर्वी दिशा में) कुल 0.451 है. कृषि भूमि
--	--	---

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------

176/164	39	5/1/0.089 है., 5/3/0.038 है.
---------	----	------------------------------

177/163	33	21/0.186 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 22/0.253 है.
---------	----	---

177/164	40	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/1/0.215 है.,
---------	----	--

		2/2/0.038 है., 9,10,11/0.253 है.प्र.,
--	--	---------------------------------------

		20/0.062 है.(किला की उत्तरी दिशा में) मुमकिन 1.779 है., गै.मु. 0.114
--	--	--

है., कुल 1.893 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

डायरेक्टर एवं

सहायक अधिकारी

संगरिया

3 प्रतिवादी सं. 2 सुबा सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

176/163 34 25/0.253 है.

177/163 33 21/0.067 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) कुल 0.320 है. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

179/161 12 19/2/0.062 है. कुल 0.062 है. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 92/30 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

179/161 12 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

8,13,18,22,23/0.253 है.प्र.,

19/1/0.127 है.(किला की दक्षिणी दिशा में)

179/162 22 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.

मुमकिन 1.848 है., गै.मु. 0.050 है., कुल 1.898 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

4. प्रतिवादी सं. 3 सरदूल सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 13 बी.जी.पी. खाता सं. 126/95 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

183/156 41 18/0.244 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),

19/0.253 है. कुल 0.497 है. कृषि भूमि

5 प्रतिवादी सं. 4 जसप्रीत सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 117/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

179/161 12 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9/2/0.127 है.,

11,20,21/0.253 है.प्र.

मुमकिन 1.114 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 1.139 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 116/86 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

179/161 12 9/1/0.126 है., 12/0.253 है., 19/2/0.064 है.

कुल 0.443 है. कृषि भूमि

6. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 क्रमशः सुखपाल कौर पत्नी श्री गुरजन्त सिंह एवं हरपाल कौर पत्नी श्री बेअन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075

प.न. मु.न. किला नम्बर

177/164 40 12,19,21,22/0.253 है.प्र. 20/0.191 है. (किला की दक्षिणी दिशा में)

23/0.157 है. (किला की दक्षिणी दिशा में) कुल 1.360 है. कृषिभूमि

7. प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 क्रमशः कंचन पुत्री श्री देशराज, ज्योति पुत्री श्री देशराज, प्रवीणा पुत्री श्री देशराज शर्मिला पुत्री श्री देशराज एवं रमनदीप पुत्र श्री देशराज समस्त जाति बिश्नोई निवासीगण 4 एनटीडब्ल्यू तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 111/3 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075

प.न. मु.न. किला नम्बर

177/164 40 3/1/0.215 है. 3/2/0.038 है. 8,13,18/0.253 है.प्र.

23/0.096 है. (किला की उत्तरी दिशा में) कुल 1.108 है. मय गै.मु.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
महिला कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
जगदण्ड अधिकारी
संगरिया